न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद जिला सीकर

पीठासीन अधिकारी– राहुल कुमार मल्होत्रा, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा– अपील / 04 / 2025

रणजीतसिंह उम्र 53 साल पुत्र श्री किशोरसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम सांवलोदा लाडखानी तहसील ग्रामीण सीकर जिला सीकर

– अपीलान्ट

बनाम

01. गजेन्द्रसिंह उम्र 52 साल पुत्र श्री प्रहलादसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम सांवलोदा लाडखानी तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर
02. सरपंच, ग्राम पंचायत सांवलोदा धायलान तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर
03. तहसीलदार तहसील ग्रामीण सीकर जिला सीकर

– रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध
नामान्तरकरण सं. 643 दिनांक 25.05.2017
वाके ग्राम सांवलोदा लाडखानी द्वारा ग्राम पंचायत सांवलोदा धायलान

उपस्थिति–
01. श्री सुरेन्द्र सिंह शेखावत, वकील अपीलांट की ओर से
02. श्री भेभाराम गुर्जर, वकील रेस्पोडेंट सं. 1 की ओर से

–:आदेश:–

दिनांक– 12.08.2025

वकील अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि "भूमि खसरा सं. 231 रकबा 1.9300 हेक्टेयर वाके ग्राम सांवलोदा लाडखानी तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर की तन में स्थित है। उक्त कृषि भूमि में अपीलांट का 1/6 हिस्सा खातेदारी में था। अपीलांट द्वारा रेस्पोडेन्ट सं. 1 के पक्ष में दिनांक 26.10.2016 को अपनी उक्त 1/6 हिस्सा भूमि में से 0.2248 हेक्टेयर भूमि का प्रतिफल राशि 70000/– रूपये प्राप्त कर उक्त विक्रीत भूमि 0.2248 हेक्टेयर का कब्जा रेस्पोडेन्ट सं. 1 को सम्भलाकर उसका रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र उपपंजीयक कार्यालय धोद जिला सीकर में रेस्पोडेन्ट सं. 1 के पक्ष में पंजीकृत करवा दिया। विक्रय के दिन से ही रेस्पोडेन्ट सं. 1 को विक्रय की गई 0.2248 हेक्टेयर भूमि पर ही भौतिक कब्जा करता आ रहा है। उक्त पंजीकृत विक्रय–पत्र के आधार पर रेस्पोडेन्ट सं. 1 के नाम तैयार किया गया नामान्तरकरण सं. 643 ग्राम पंचायत सांवलोदा धायलान ने अपनी आज्ञा दिनांकित 25.05.2017 द्वारा उक्त खसरा सं. 231 में से विक्रय की गई कृषि भूमि 0.2248 हेक्टेयर की जगह अपीलान्ट की सम्पूर्ण 1/6 हिस्सा भूमि का नामान्तरकरण स्वीकार कर दिया, जिसके अनुसार राजस्व रिकार्ड में खातेदारी 1/6 की रेरपोडेन्ट सं. 1 के नाम दर्ज हो गई। ग्राम पंचायत सांवलोदा धायलान के आदेश दिनांक 25.05.2017 जो नामान्तरकरण सं. 643 के विरूद्ध यह अपील अपीलाण्ट द्वारा निम्नलिखित आधारों पर सादर पेश है– योग्य अधीनस्थ ग्राम पंचायत का आदेश व नामान्तरकरण विक्रीत भूमि से ज्यादा भूमि की [illegible] दर्ज करने में नियमों के सर्वथा विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। योग्य अधीनस्थ ग्राम पंचायत ने उक्त आदेश पारित करने से पूर्व अपीलाण्ट के नाम के खातेदारी में से विक्रय की गई भूमि को समझे बगैर यह विधि विरुद्ध आदेश पारित किया है। योग्य अधीनस्थ ग्राम पंचायत का आदेश मनमाना होने से निरस्त किये जाने योग्य है। योग्य अधीनस्थ ग्राम पंचायत ने इस तथ्य को बिना समझे कि पंजीकृत विक्रय–पत्र में वर्णित भूमि खसरा सं. 231 में से अपीलाण्ट द्वारा अपने खातेदारी की 1/6 हिस्सा भूमि में से 2248 हेक्टेयर भूमि को ही विक्रय किया गया है तथा उक्त 0.2248 हेक्टेयर भूमि ही रेस्पोडेन्ट सं. 1 के भौतिक कब्जे की

न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट जिला–सीकर (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.08.20 16:51:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड मजिस्ट्रेट

है, को नहीं मानकर यह अवैध आदेश पारित किया है। योग्य अधीनस्थ ग्राम पंचायत ने उक्त आदेश पारित करने से पूर्व अपीलाण्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 1 को कोई सूचना नहीं दी और राजनैतिक द्वेषतावश मनमर्जी से उक्त आदेश पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। योग्य अधीनस्थ ग्राम पंचायत का आदेश दिनांकित 25.05.2017 विधि व तथ्यों के विरूद्ध होने से अकृत शून्य व प्रभावहीन है। अपीलान्ट को चुनौतीग्रस्त आदेश दिनांक 25.05.2017 की पूर्व में कभी कोई जानकारी नहीं रही। सर्वप्रथम दिनांक 10.02.2025 को विवादित कृषि भूमि में अपने हिस्से की कृषि भूमि पर ऋण लेने हेतु जमाबन्दी एवं नामान्तरकरण सं. 643 की प्रमाणित प्रतिलिपि निकलवाने पर अपीलान्ट को चुनौतीग्रस्त आदेश (नामांन्तरकरण) दिनांक 25.05.2017 की जानकारी हुई। इसलिए अपील जानकारी से अन्दर मियाद सावधि प्रस्तुत है। फिर भी नामान्तरकरण आदेश दिनांक 25.05.2017 से लेकर प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 10.02.2025 तक के विलम्ब के लिये आवेदन धारा 5 अवधि अधिनियम मय शपथ पत्र अलग से प्रस्तुत किया जा रहा है। अपील अपीलाण्ट उचित न्याय शुल्क पर सादर पेश है, जो माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होकर श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को हासिल है। अतः निवेदन है कि ग्राम पंचायत सांवलोदा धायलान के आदेश दिनाकित 25.05.2017 जो नामान्तरकरण सं. 643 में सम्पूर्ण 1/6 हिस्सा भूमि पर पारित किया गया को अपास्त किया जाकर उक्त कृषि भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि भाग में से केवल मात्र 0.2248 हेक्टेयर भूमि का नामान्तरकरण रेस्पोडेन्ट सं. 1 के नाम स्वीकार किये जाने के आदेश फरमायें।''

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोंडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेंट सं. 2 व 3 पर विधिवत तामील जरिये रजिस्टर्ड डाक से तामील पूर्ण हुई। अतः उक्त के बावजूद अनुपस्थित रहने पर उक्त के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। रेस्पोडेंट सं. 1 ओर से श्री भेभाराम गुर्जर, एड. ने वकालतनामा पेश किया।

बहस उभयपक्ष से सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपील के तथ्यों को ही बहस के दौरान दोहराकर कथन किया कि अपीलांट की अपील विधिनुसार है। जिसको स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। वकील रेस्पोडेंट सं. 1 ने उक्त अपील स्वीकार किये जाने पर सहमति व्यक्त की।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा समग्र पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। पत्रावली में संलग्न विवादित नामान्तरकरण सं. 643 दिनांक 25.05.2017 वाके ग्राम सांवलोदा लाडखानी के संबंध में ग्राम पंचायत सांवलोदा धायलान द्वारा दिनांक 25.05.2017 को भरा जाकर उक्त नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया। उक्त नामान्तरकरण को अपीलांट ने चुनौती दी है। उक्त नामान्तरकरण की प्रमाणित प्रति व उपलब्ध विक्रय–पत्र के अनुसार नामान्तरकरण में उल्लेखित विक्रय–पत्र वर्णित आराजी खसरा सं. 231 में से रणजीत सिंह (अपीलांट) के 1/6 हिस्से में से 0.2248 हेक्टेयर भूमि का बेचान गजेन्द्रसिंह (रेस्पोडेंट सं. 1) के पक्ष में किया गया था। लेकिन उक्त के नामान्तरकरण के द्वारा अपीलांट का सम्पूर्ण हिस्सा रेस्पोडेंट सं. 1 के नाम दर्ज कर दिया गया। जो कि विधिनुसार उचित नहीं है। साथ ही रेस्पोडेंट सं. 1 के वकील के द्वारा उक्त अपील को स्वीकार करने पर अनापत्ति जाहिर कर चुके है। अतः विवादित नामान्तरकरण को अपास्त किया जाकर प्रकरण को तहसीलदार को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।

अतः अपीलांट की अपील सहमति के आधार पर स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत, सांवलोदा धायलान के द्वारा नामान्तरकरण सं. 643 वाके ग्राम सांवलोदा लाडखानी दिनांकित 25.05.2017 के द्वारा भरे गये नामान्तरकरण को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार, सीकर ग्रामीण को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह अपीलांट (रणजीत सिंह) के द्वारा रेस्पोडेंट सं. 1 (गजेन्द्र सिंह) के पक्ष में बने विक्रय–पत्र दिनांकित 28.10.2016 में उल्लेखित हिस्से के अनुसार ही जांच कर नियमानुसार उक्त नामान्तरकरण की प्रक्रिया पूर्ण करें। प्रतिलिपि तहसीलदार, सीकर ग्रामीण को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 12.08.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.08.20 16:51:26 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, जिला–सीकर (राज.)

(राहुल कुमार मल्होत्रा)
उपखण्ड अधिकारी,
धोद जिला सीकर
उपखण्ड मजिस्ट्रेट
धोद जिला-सीकर